संख्या- 4 /2021/रिट-27/23-2-2021-46(रिट)/15

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2021

विषय:- विशेष याचिका संख्या-16539/2016 वीरेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-11769 बी0जी0/245बी0(10)/2020-21, दिनांक 10.02.2021, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-16539/2016 वीरेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 के अनुपालन में वादी के पक्षगत भूमि गाटा संख्या-503 ग्राम गर्हरा खुर्द परगना किरावली में सड़क निर्माण में प्रयुक्त भूमि 1936 वर्गगज के लिए शेष धनराशि रू0 2,62,572.00 (रूपये दो लाख बासठ हजार पांच सौ बहत्तर मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0302-विभिन्न मार्गो पर अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर का भुगतान जिसके भुगतान के लिए आदेश न्यायालय या शासन से प्राप्त हुए हों-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व धनराशि की गणना की शुद्धता की जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त देयता के सम्बन्ध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकार को नहीं दी गई है।

5- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner

6- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
सचिव।

संख्या- 4 /2021/रिट-27/23-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
5- जिलाधिकारी, आगरा।
6- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/7
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner